सम्पदा अनुभाग

आई0सी0ए0आर0–भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर,

Estate Section

ICAR-INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE, IZATNAGAR

पत्रांक : 1–3 / 2019–20 / सम्पदा   **Dated : 24.02.2020**

28

परिपत्र

इस समय संस्थान परिसर में निम्न आवास रिक्त है या अति शीघ्र रिक्त होने की स्थिति में हैं, जो परिवर्तन (अपनी ही श्रेणी के अनुरूप) के आधार पर आंवटन किये जाने हैं। परिवर्तन के आधार पर संस्थान परिसर में रह रहे उन ही अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेगें, जिन्होंने संस्थान परिसर में छः माह कम से कम निवास कर चुके हों, परंतु उन अधिकारियों एंव कर्मचारियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, जिन्होंने आवास आवंटित हुआ परंतु अपनी स्वीकृति नहीं दी और उनको नियमानुसार डिबार श्रेणी में रखा गया है। चिकित्सकीय आधार पर आवास परिवर्तन आंवटत के लिए नियमानुसार सक्ष्म अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

LIST Of VACATTED QUARTERS		
Type V Quarter		
Old Number	New Number	Postion of the Quarter
Type-5 Qr. No.02	Type-V/2	Vaccatted by Dr. V.P. Maurya, PS
Type IV Quarters		
Type-IV D Qr. No.06	Type-IV/12	Vaccatted by Dr. S.K. Kochiwad, Sci.
E-Type-IV - Qr. No. 04	Type-IV/58	To be vacatted by Dr.P.K. Bharti
Type-IV Qr. No.10	Type-IV/38	
Type III Quarters		
A-Type III Qr. No. 6/1	Type-III/01	Earlier vacatted by Shri.K. Shukla
Type II Quarters		
B-Type-II,New Qr. No.2/5	Type-II/73	To be Vaccatted by Smt Satywati
B-Type-II,New Qr. No.2/8	Type-II/76	To be vacated by the wards of Late Sri Dhirendra Prasad

यदि परिवर्तन के आधार पर पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो उनको वरिष्ठता के आधार पर आवास आवंटन कर दिये जायेगें जिसके लिए पहले ही वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गयी है। परंतु यह नियम नयी भर्ती द्वारा कार्यभार ग्रहण किये कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। नयी भर्ती द्वारा कार्यभार ग्रहण किये कर्मचारी आवास आंवटन के अपने आवेदन पत्र इस कार्यालय में दे सकते हैं, परंतु जिन कर्मचारियों ने पहले ही अपने आवेदन पत्र दे चुके हैं, उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

परिषद के Endorsement No. F. GAC-21-40-2018 CDN dated 27.06.2018 and Instt. Circular No. 6-1/2017-Estate dated 3rd April, 2019 (Point No. 36) के अनुसार उपरोक्त अथवा अन्य रिक्त आवास खाली रहने के स्थिति में एक श्रेणी ऊपर अथवा एक श्रेणी नीचे भी सामान्य लाइसेन्स फी पर **आवेदकों की वरिष्ठता के आधार पर** आवास आवंटन किये जा सकते हैं, जिस के लिए अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने आवेदन पत्र दे सकते हैं। परंतु उनके आवेदन पत्रों पर उसी समय ही विचार किया जायेगा जबकि आवांस आवंटन के पश्चात भी खाली रह गये हों। पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने पर संस्थान द्वारा स्वंय भी वरिष्ठता सूची के आधार पर आवास आंवटित किये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र इस परिपत्र के संस्थान की वैबसाइट पर अपलोड होने के छः कार्यदिवस तक इस अनुभाग में जमा कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

परिवर्तन के आधार पर आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र संलग्न है ।

28-2-20

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सम्पदा)

वितरण :

१. सभी संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक/व० वित्त एवं लेखाधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (यूनिट I,II), प्रभारी अधिकारी/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/सुरक्षाधिकारी, भा० प० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संज्ञान में लायें।
२. अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति, एवं संयुक्त निदेषक (कैडराड), भा० प० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर।
३. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, भा० प० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर।
४. प्रभारी अधिकारी, एरिस सेल, भा० प० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर कों संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
५. निदेशक महोदय के निजी सचिव, भा० प० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर।
६. सचिव, संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिशद, भा० प० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर।
७. नोटिस बोर्ड।

परिसर में समान टाइप (क्वाटर)/ बंगला के परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पद नाम :
3. विभाग/ अनुभाग :
4. वेतनमान एवं वर्तमान वेतन :
5. ग्रेड–पे
6. वर्तमान आवास
   i. टाइप एवं क्वाटर/ बंगला सं
   ii. तिथि जिससे वे इस गृह में नियमित रूप से रह रहे है।
   iii. क्या अनिवार्यता/ प्राथमिकता/ अनुकम्पा के आधार पर आवास/ बंगला आवंटित किया गया है।
7. भा0कृ0अ0प0 की सेवा में सतत नियुक्ति की तिथि
8. क्या आवेदक ने भा0कृ0अ0प0 के बाहर केन्द्रीय/ राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग/ संगठन में कार्य किया है। यदि ऐसा है तो उसका पूर्ण ब्यौरा दिया जाये। इसकी पुष्टि की जाए कि क्या प्रसंगाधीन सम्पूर्ण अवधि के लिए अवकाश का वेतन एवं पेंशन अंशदान जमा कर दिया गया (आवश्यकीय दस्तावेजी साक्ष्य भी संलग्न किया जाए)
9. आपेक्षित परिवर्तन का टाइप जैसे प्रथम तल से ग्राउन्ड तल
10. विशेष प्राथमिकता (क्वाटर संख्या एवं टाइप अंकित करें यदि किसी विशेष क्वाटर/बंगला को परिवर्तित करने की इच्छा हैं) :
11. क्या आवास/ बंगला के समान टाइप में इससे पहले भी परिवर्तित किया गया है। :
12. संक्षेप में परिवर्तन के कारण दर्शाएं :
13. अधिवर्षिता की तिथि

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवास/ बंगला के समान टाइप में अब तक मैनें कोई परिवर्तत नहीं किया है। यदि बाद में इस सम्बन्ध में कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाती है तो मेरा आवंटन रदद् किया जा सकता है और भा0प0चि0अ0सं0 (आवास आवंटन) नियम 1991 के अनुसार मेरे विरूद्ध की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के लिए मैं स्वंय जिम्मेदार रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम स्पो

पद

विभाग

मोबाइल (M)

न०